लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2370

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कच्चे माल तक पहुंच में सुधार

2370. श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए कच्चे माल, ऋण और बाजारों तक पहुंच में सुधार के लिए उपाय लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने और विशिष्ट हथकरघा सामग्री को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) हथकरघा बुनकरों के आय स्तर और जीवन स्तर पर इन उपायों का कितना प्रभाव पड़ा है।

(घ) युवा पीढ़ी को हथकरघा उद्योग में शामिल होने और पारंपरिक कौशल को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) क्या हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों या ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ कोई साझेदारी की गई है; और

(च) क्या सरकार मशीन-निर्मित वस्त्रों से इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और हथकरघा उत्पादों की घटती मांग जैसी चुनौतियों का समाधान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (च): वस्त्र मंत्रालय देश भर में हथकरघा को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और (ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसके अलावा, मंत्रालय केवल हथकरघा पर आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के लिए तथा देश में हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को क्रियान्वित कर रहा है।

(ख): वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा मार्केटिंग सहायता (एचएमए), राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत अखिल भारतीय हथकरघा उत्पादों के संबंध में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (जीआई) (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 को बढ़ावा दे रहा है। अब तक जीआई अधिनियम, 1999 के तहत कुल 103 हथकरघा उत्पाद और 6 उत्पाद लोगो पंजीकृत किए गए हैं।

(ग): योजनाबद्ध इंटर्वेंशन्स के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों द्वारा किया गया है और अध्ययन से पता चला है कि इन इंटर्वेंशन्स से बुनकरों की आय और कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(घ): वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की ओर छात्रों को आकर्षित करने के लिए हथकरघा एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इसके अलावा, वस्त्र क्षेत्र में समर्थ-क्षमता निर्माण के तहत एनएचडीपी के अंतर्गत हथकरघा कामगारों के लिए बुनाई, रंगाई, डिजाइनिंग आदि तकनीकी क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित कौशल उन्नयन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत देश भर में कार्यरत 29 बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यूएससी) के माध्यम से हथकरघा कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वस्त्र मंत्रालय युवा पीढ़ी को हथकरघा उद्योग में शामिल होने और पारंपरिक कौशल को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों को एनएचडीपी के एक घटक, हथकरघा बुनकर कल्याण के तहत मान्यता प्राप्त वस्त्र संस्थानों में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रति बच्चा (2 बच्चों तक) अधिकतम 2.00 लाख प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

(ङ): बुनकरों तथा कारीगरों को हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग करने में सुविधा प्रदान करने हेतु एक ई-कॉमर्स पोर्टल (indiahandmade.com) विकसित किया गया है, जिसमें किसी भी बिचौलिए की भागीदारी के बिना उत्पाद सीधे खरीदार/उपभोक्ताओं को उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, हथकरघा उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए 23 ई-कॉमर्स एजेंसियों को एक साथ जोड़ा गया है।

****